नर्सरी से कॉलेज तक, एडमिशन की युद्धभूमि

आज शिक्षा का अर्थ सीखना नहीं, बल्कि साबित करना हो गया है। साबित करना कि बच्चा बेहतर है, तेज़ है, दूसरों से आगे है। और यह साबित करने की ज़िम्मेदारी बच्चे से ज़्यादा उसके माता–पिता के कंधों पर डाल दी गई है। नतीजा यह है कि नर्सरी से लेकर विश्वविद्यालय तक, 'दाख़िला' अब एक सामान्य प्रक्रिया नहीं, बल्कि मानसिक, आर्थिक और सामाजिक तनाव का कारण बन चुका है।

दाख़िले की इस दौड़ में सबसे पहले निशाने पर आता है मासूम बच्चा। वह उम्र, जब खेलना, कल्पना करना और सवाल पूछना चाहिए, उसी उम्र में उसे फ़ॉर्म, इंटरव्यू, टेस्ट और रैंक के बोझ तले दबा दिया जाता है। नर्सरी एडमिशन के नाम पर माता-पिता छुट्टियाँ लेते हैं, स्कूल-दर-स्कूल भटकते हैं, सिफ़ारिशें ढूँढते हैं और कई बार आत्मसम्मान तक गिरवी रख देते हैं। यह सब इसलिए नहीं कि बच्चा सीख सके, बल्कि इसलिए कि वह 'अच्छे स्कूल' का टैग हासिल कर सके।

आज शिक्षा संस्थान ज्ञान के मंदिर कम और प्रतिस्पर्धी बाज़ार ज़्यादा बनते जा रहे हैं। अख़बारों में 'मिशन एडमिशन' जैसे शब्द आम हो चुके हैं। टीवी चैनलों पर दाख़िले को लेकर बहसें होती हैं, कोचिंग संस्थान भविष्य की गारंटी बेचते हैं और स्कूल-कॉलेज अपनी ब्रांड वैल्यू चमकाने में लगे रहते हैं। इस पूरे तंत्र में बच्चा एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक प्रोजेक्ट बन जाता है—जिसे हर हाल में सफल दिखाना ज़रूरी है।

कभी 60-65 प्रतिशत अंक लाना सम्मान की बात हुआ करती थी। सेकंड डिविज़न जीवन की हार नहीं मानी जाती थी। आज हालात यह हैं कि 90 प्रतिशत से नीचे अंक लाने वाला बच्चा और उसके माता-पिता अपराधबोध में जीते हैं। 95-96 प्रतिशत अंक लाने वालों को भी चैन नहीं है, क्योंकि कट-ऑफ़ हर साल नई ऊँचाई छू रहा है। ऐसा लगता है मानो अंकों की इस दौड़ का कोई अंत ही नहीं।

यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब ज़्यादातर बच्चे 90 प्रतिशत से ऊपर अंक ला रहे हैं, तो क्या वास्तव में सब असाधारण प्रतिभाशाली हैं? या फिर मूल्यांकन प्रणाली ही अपना संतुलन खो चुकी है? शिक्षा का उद्देश्य समझ विकसित करना था, लेकिन वह अब अंकों और रैंक के गणित में सिमट कर रह गया है। ज्ञान से ज़्यादा प्रदर्शन मायने रखता है, और प्रदर्शन से ज़्यादा उसका प्रचार।

इस पूरी प्रक्रिया का सबसे भयावह पहलू है बच्चों पर पड़ने वाला मानसिक दबाव। परीक्षा, इंटरव्यू और चयन की अनिश्चितता बच्चे के भीतर डर और असुरक्षा पैदा करती है। असफलता की स्थिति में पहला सवाल यही होता है– 'अब क्या होगा?' यह सवाल सिर्फ़ भविष्य का नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का भी होता है। बच्चा यह मानने लगता है कि उसकी असफलता उसके माता-पिता की हार है। यह भाव उसके आत्मविश्वास को गहरे तक चोट पहुँचाता है।

विडंबना यह है कि माता-पिता भी इस दबाव के शिकार हैं। समाज ने उनके सामने सफलता की एक संकीर्ण परिभाषा रख दी है—टॉप स्कूल, टॉप कॉलेज और टॉप करियर। वे यह सोचने से डरते हैं कि अगर उनका बच्चा इस तय ढाँचे में फिट नहीं हुआ, तो लोग क्या कहेंगे। परिणामस्वरूप वे बच्चे की रुचि, क्षमता और स्वभाव को नज़रअंदाज़ कर देते हैं।

शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त असमानता इस समस्या को और गंभीर बना देती है। जिनके पास संसाधन हैं, वे महँगी कोचिंग, प्राइवेट स्कूल और मैनेजमेंट कोटा खरीद सकते हैं। लेकिन मध्यम और निम्न वर्ग के बच्चों के लिए यह दौड़ कहीं ज़्यादा कठिन है। योग्यता के बावजूद अवसर न मिलना, व्यवस्था पर से भरोसा तोड़ देता है। धीरे-धीरे शिक्षा सामाजिक न्याय का माध्यम न रहकर विशेषाधिकार का प्रतीक बन जाती है।

एक और चिंताजनक पहलू यह है कि हम बच्चों को सोचने के बजाय रटने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। सवाल पूछने वाले बच्चे 'डिस्ट्रैक्टेड' माने जाते हैं और उत्तर याद करने वाले 'मेधावी'। रचनात्मकता, संवेदनशीलता और नैतिकता जैसे गुण पाठ्यक्रम से बाहर कर दिए गए हैं। शिक्षा का लक्ष्य इंसान बनाना था, लेकिन हम मशीन तैयार करने में लगे हैं।

इस संदर्भ में यह सवाल बेहद ज़रूरी है—क्या शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ़ टॉपर पैदा करना है? या ऐसे नागरिक तैयार करना है जो समाज के प्रति ज़िम्मेदार हों, सवाल पूछ सकें और बदलाव ला सकें? जब तक हम इस सवाल का ईमानदारी से उत्तर नहीं खोजेंगे, तब तक दाख़िले की यह दौड़ और ज़्यादा बेरहम होती जाएगी।

ज़रूरत इस बात की है कि शिक्षा को बाज़ार से मुक्त किया जाए और मूल्यांकन प्रणाली को मानवीय बनाया जाए। स्कूलों और कॉलेजों में सीटें बढ़ाने, गुणवत्ता सुधारने और अवसरों को समान बनाने की दिशा में गंभीर प्रयास हों। सबसे ज़रूरी है माता-पिता और समाज की सोच में बदलाव—कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता और सफलता का एक ही रास्ता नहीं होता।

अगर शिक्षा को आनंद, जिज्ञासा और आत्मविकास का माध्यम बना दिया जाए, तो दाख़िले की यह दौड़ अपने आप धीमी पड़ जाएगी। वरना हम आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा भविष्य सौंपेंगे, जहाँ डिग्रियाँ तो होंगी, लेकिन संतुलन और संवेदनशीलता नहीं।

आज ज़रूरत इस बात की है कि हम रुककर सोचें—क्या शिक्षा का मक़सद केवल टॉपर पैदा करना है, या संवेदनशील, सोचने-समझने वाला इंसान बनाना? जब तक दाख़िले की यह अंधी दौड़ जारी रहेगी, तब तक शिक्षा बोझ बनी रहेगी, आनंद नहीं। बदलाव सिस्टम में चाहिए, लेकिन शुरुआत हमारी सोच से होगी—वरना यह दौड़ हर साल और बेरहम होती जाएगी।

डॉ॰ सत्यवान सौरभ,
कवि, सामाजिक विचारक एवं स्तंभकार,
आकाशवाणी एवं टीवी पेनालिस्ट,
333, परी वाटिका, कौशल्या भवन,
बड़वा (सिवानी) भिवानी,

वर्णाश्रम एवं चातुर्वर्ण्य

वैदिक परम्परा में वर्णाश्रम धर्म एवं चार वर्णों को आधार माना जाता है। परन्तु वर्तमान में इसका जो रूप हमें दिखायी देता है, वह शास्त्रों की परिभाषा के विपरीत है। वर्णाश्रम व्यवस्था एवं चातुर्वर्ण्य व्यवस्था सदैव ही समाज में रही है और रहेगी। अगर हम कहें कि वैश्विषक किरणें (ष्ह्यद्गद्बष् ह्द्ब4ह्य) प्रत्येक वस्तु या वाणी पर अपना प्रभाव डालती हैं, तो यह मात्र हमारी कल्पना नहीं अपितु अटल सत्य है।

वर्णाश्रम व्यवस्था चातुर्वर्ण्य व्यवस्था सम्पूर्ण मानव जाति की वास्तविक अवस्था है, जिसका अन्वेषण एवं धारणा वैदिक परम्परा के ऋषि-मुनियों ने की थी। आज हिन्दु समाज में जिस जाति व्यवस्था, ऊँच नीच का भेदभाव या छूआछूत की बात होती है वह वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था एवं चातुर्वर्ण्य व्यवस्था में कहीं नहीं है। वर्तमान व्यवस्थायें स्वार्थी एवं पाखंडी लोगों एवं तथाकथित धर्म एवं सत्ता के गठजोड़ की ही देन हैं।

फिर वर्णाश्रम एवं चातुर्वर्ण्य व्यवस्था क्या है? इसका उत्तर जानने के लिये हमें शास्त्रों को खंगालना होगा। हमारे शास्त्र स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था से मानव को धर्म की उन्नेति होगी। शास्त्र कहते हैं 'पिंडे पिंडे मतिभिन्नौ' यानि हर व्यक्ति का धर्म अलग होता है। अगर ऐसा हुआ तो संसार में अनगिनत धर्म खड़े हो जायेंगे। परन्तु यहाँ धर्म का मतलब नहीं अपितु व्यक्तिगत धारणा की अवस्था है। पिता, माता, पुत्र, भाई, बहन सबका धर्म अलग-अलग हो सकता है। इसीलिये शास्त्रों ने धर्म की व्याख्या की है 'धारणात? धर्मा इत्याहूः धर्मो धारयते प्रजाः '। ब्रह्माण्ड में जो अनन्तड़ शक्ति याँ सदा बहती रहती हैं, उनको सुयोग्य धारणा एवं उनसे जनकल्याण के उपाय करना ही धर्म है।

वर्णाश्रम धर्म का व्यापक अर्थ स्वयं इसी में छुपा है। वर्ण यानि दिव्य रंग जो प्रत्येक व्यक्तिा के शरीर के चारों ओर रहने वाले प्रकाशवलय में रहता है। यह प्रकाशवलय, व्यक्तिा गुण, स्वभाव के अनुसार प्रभावित होकर उसका तेजोवलय (ˏक्र) बनकर दिखाई देता है। दिव्य योगी एवं सन्त इस तेजोवलय को देखने में सक्षम होते हैं, हाँ आज विज्ञान भी इसे स्वीकार करता है एवं विशेष यन्त्रों से देखने में सक्षम है। इस तेजोवलय को व्यक्ति् के गुण स्वभाव एवं प्रकृति के आधार पर वैदिक धारणा में विभिन्नण वर्णों में बाँटा गया, जिसे वर्णाश्रम कहा गया। उदाहरणार्थ - अत्यन्त शुद्ध आचार विचार वाले व्यक्तिभ के तेजोवलय का वर्ण शुक्लु रहता है। शास्त्रों में ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण कहा गया। इसमें जाति, मजहब का कोई आधार नहीं है। चातुर्वर्ण्य व्यवस्था का उद्गलम इसी प्रकार के वर्णाश्रम धर्म से हुआ। इस प्रकार चातुर्वर्ण्य एवं वर्णाश्रम व्यवस्था, गुण, कर्म, स्वभाव एवं संस्कारों पर निर्भर है, न कि जन्मजात व्यक्तिल व्यवस्था पर। यह एक दिव्य प्राकृतिक अवस्था है। वैदिक परम्परा ने यह दिव्य अवस्था का अध्ययन कर समाज के कल्याण एवं सुचारू संचालन के लिये कुछ नियम बनाये जिन्हें वर्णाश्रम धर्म एवं चातुर्वर्ण्य व्यवस्था कहा गया। श्रीगीता में चातुर्वर्ण्य के बारे में स्पष्ट कहा गया है।

चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः।
वस्य कर्तारमपि मां विद्धयकर्तारमक्ष्ययम्?॥

जन्मतः कोई ब्राह्मण नहीं है। जन्मतः सारे शूद्र हैं। उत्तम संस्कारों के कारण कोई भी ब्राह्मण बन सकता है। शास्त्रानुसार -

जन्मता जायते शूद्रः संस्कारात? द्विज उच्यते।'

फिर ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म जानता है वही ब्राह्मण है। '**ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः।**

चातुर्वर्ण्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शुद्र चार वर्णों का निर्धारण मनुष्य के चतुर्विध पुरूषार्थ पर निर्धारित कर दिया गया।

ब्राह्मण- वैदिक परम्परा का मुख्य ध्येय आदर्श ब्राह्मण बनना है। इसके अनुसार कोई भी सुयोग्य आचार, विचार का पालन कर ब्राह्मण बन सकता है। जिसका आचार, विचार आध्यात्मिक भाव का यानि ब्रह्मा को जानने का है, वही ब्राह्मण बन सकता है। ब्राह्मण बने व्यक्तिण का तेजोवलय शुक्ल वर्ण का होता है। अर्थात शुक्ल दिव्य वलयवर्ण का व्यक्तिर ब्राह्मण है। ऐसा व्यक्ति् आध्यात्म साधना एवं चिन्तन में लिप्त रहता है तथा कामिनी, कंचन एवं कीर्ति से बचकर रहता है। उपनिषद के अनुसार शुक्ल वर्ण दिव्य वलय वाला व्यक्तिक किसी भी जाति, धर्म अथवा त्वचा के रंग का हो, ब्राह्मण ही कहलायेगा। जैसा ऊपर भी लिखा गया है कि जन्म से सब शूद्र हैं, अतः कोई भी सुयोग्य साधना कर ब्राह्मण बन सकता है ब्राह्मण समाज के आदर्श का प्रतीक है न की जाति व्यवस्था का। क्षत्रिय- जो अपने क्षेत्र की रक्षा करता है वह क्षत्रिय है। प्रश्नल उठता है कि कौन सा क्षेत्र? श्री गीता में कहा गया है-

इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्र मित्यधिधीयते।
एतद्यो वेत्तिद तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इतितद्विदः॥

आशय यह है कि अपना शरीर ही वह क्षेत्र है तथा जो शरीर की रक्षा कर वह क्षत्रिय है। कहा गया है कि सर्वसाधना का पल उपकरण है जिसकी आत्मसाधना के कारण रक्षा करना आवश्यक है। शरीर की रक्षा शरीर के लिये नही वरण आत्मसाधन के लिये जरूरी है। आत्मसाधना का फल आत्मज्ञान या ब्रह्मज्ञान होते हैं। परन्तु सभी एकदम से ब्रह्मज्ञानी नहीं बन सकते। इस उच्च अवस्था तक पहुँचने के लिये आत्मसाधना करनी पड़ती है। आत्मसाधना के लिये शरीर की रक्षा करना आवश्यक है। अतः जो साधक नियमबद्ध रहकर शरीर की रक्षा करता है वह क्षत्रिय कहलाता है। इस प्रकार अपना स्वास्थ्य एवं कृतिक्षेत्र की रक्षा करने वाले जन जहाँ भी होंगे वे उस समाज के क्षत्रिय माने जायेंगे। क्षत्रिय के सम्बन्ध में पुराणों में परशून्य कथा का उल्लेख है कि उन्होंनें पृथ्वी को इक्कीस बार निःक्षत्रिय किया था यहाँ पृथ्वी से तात्पर्य वह स्थान जिसकी क्षत्रिय रक्षा करता है अर्थात सम्पूर्ण शरीर से है। फिर वह कौन से क्षत्रिय हैं जिन्हें परशुराम ने मार डाला। जब हम अपने कृतिरक्षण की अवस्था से आगे बढ़ते हैं तब हम क्षत्रिय से ब्राह्मणत्व की ओर बढ़ते हैं। कृतिशून्य साधक ही ब्राह्मण है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि हमारा अस्तित्व इक्कीस सूक्ष्म-सूक्ष्मतर अवस्थाओं में रहता है। हर एक अवस्था को लेकर साधक की कृतियाँ उसी आधार से रहती हैं। हमारी पंचकर्मेन्द्रियां, पंचज्ञानेन्द्रियां, पांच तन्यात्राएं एवं पचं महायत्रों को लेकर कुल बीस तत्वास्थाएं हैं। इन बीस तत्वास्थाओं को संचालित करने वाला इक्कीत्रसवाँ हमारा मन है। इन इक्कीस अवस्था में स्थित आग्रही मनरूप या कृतिरूप क्षत्रियों का संहार करना ही ब्राह्मण बनने की इच्छा करने वाले परशुराम के लिये आवश्यक था। इस प्रकार परशुराम ने ब्राह्मण बनने के लिये अपने शरीररूपी पृथ्वी से सभी इक्कीँस कृतियों पर विजय पायी।

वैश्य- 'विश' यानि प्रजा तथा वैश्य यानि प्रजा का पोषण करने वाला। प्रजा यानि कृतिरूप अवस्था। आध्यात्म साधना जिन कृतियों का पोषण करना स्वीकार करते हैं उन्हें शास्त्र वैश्य कहते हैं। कुछ साधक सारे जीवन तक एक ही कृति को धारण कर कर्मठता से मग्न रहते हैं, और अपनी कृति का पोषण करते हैं, शास्त्रकार उन्हें वैश्य कहते हैं। अपने कर्म विशेष में मशगूल रहना, कर्मठता के साथ आगे बढ़ना, अपनी कृति के पोषण में लगे रहना वाला व्यक्तिा वैश्य है। वैश्य कृति के व्यक्तिे का स्वभाव संचय के साथ-साथ मुक्तस मन से दया, धर्म देश के प्रति निष्ठावान? एवं दानी होता है। धर्म की परिभाषा है 'यतोम्युदय निःश्रेयस सिद्धिः स धर्मः' इस परिभाषा के धारण करने वाला व्यक्तिम/साधक ही वैश्य है।

शूद्र- जिस साधक को थोड़ी भी साधना करने के बाद उसका आविर्भाव या अहंकार अधिक हो जाता है, यह कुछ करने के पश्चाात? चित्त का उद्रेक अधिक हो जाता है, ऐसे व्यक्तियों को शास्त्रों में शू-उद्रः यानि शूद्रः कहा जाता है। शूद्र जाति नहीं वरण वृत्तिविस्फोट है। ऐसे शूद्र वृत्ति वाले मनुष्य प्रत्येक समाज में बहुलता में पाये जाते हैं। इसलिये ऐसे व्यक्तियों को वृत्तिउद्रेक शान्त करने के लिये, विनम्र बनने के लिये सन्त, महात्मा, भगवान, ब्राह्मण या अन्यों की सेवा करने के लिये कहा जाता है ताकि उनका भावनाउद्रेक का अहंकार कम हो सके। जिन साधकों में साधना के कारण अहंकार आता है वह शूद्रकृति के साधक साधना ही न करें, यह अच्छा है। इसलिये शुद्रों के लिए तप या साधना करना मना किया है। शूद्र केवल संतजनों के सेवा फिर वही उसका धर्म है।

उपरोक्तो तथ्यों से स्पष्ट है कि वर्ण यानि हर एक व्यक्तिा के चारों ओर एक तेजोवलय होता है। प्रत्येक वृत्ति का अलग वयविलय होता है जिस व्यक्तिक का वर्ण वलय शुक्ल होगा वह ब्राह्मण, जिसका ताम्रवर्यी वह क्षात्रिय, पीतवर्णा वाला वैश्य तथा शूद्रों का वर्ण वलय कृष्ण, श्याम या काला होता है। इस वर्णवलय में किसी भी जाति, समाज या धर्म का वर्गान्तर नहीं होता है।

डॉ अ कीर्ति वर्द्धन
महालक्ष्मी एनक्लेव मुज़फ़्फ़रनगर उ प्र
8265821800

हर डिजिटल-फर्स्ट भारतीय को साइबर इंश्योरेंस के बारे में क्यों विचार करना चाहिए

गुवाहाटी, जैसे–जैसे जीवन के रोज़मर्रा के काम ऑनलाइन होते जा रहे हैं, साइबर अपराध की घटनाएँ तेज़ी से बढ़ रही हैं और इनके तरीके भी अधिक मुश्किल हो रहे हैं। धोखेबाज़ सोशल इंजीनियरिंग, डेटा के दुरुपयोग और पहचान की नकल जैसे तरीकों से लोगों को निशाना बना रहे हैं।

भारत का डिजिटल इकोसिस्टम तेज़ी से विस्तार कर रहा है, जिसका आधार स्मार्टफोन का बड़े पैमाने पर उपयोग और डिजिटल सेवाओं को अपनाने का बढ़ता चलन है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के अनुसार, केवल दिसंबर 2025 में ही 21.63 बिलियन लेन-देन हुए, जिनका कुल मूल्य ?27.97 ट्रिलियन रहा। यह बढ़ोतरी डिजिटल टूल्स और प्लेटफॉर्म के बढ़ते उपयोग को दर्शाती है और भारत के अधिक जुड़े हुए, डिजिटल रूप से एकीकृत अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने को रेखांकित करती है।

नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) और सिटिजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम (सीएफसीएफआरएमएस) के आंकड़ों के अनुसार, भारत में साइबर धोखाधड़ी से होने वाला नुकसान 2023 में ?7,465.18 करोड़ से बढ़कर 2024 में ?22,845.73 करोड़ हो गया। यह साल-दर-साल 206% की बढ़ोतरी है, जो देशभर में साइबर अपराध के तेजी से बढ़ते स्तर को दिखाती है।

एसबीआई जनरल इंश्योरेंस व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के महत्व पर जोर देता है और डिजिटल अपनाने के केंद्र में डेटा सुरक्षा को शामिल करने की जरूरत बताता है। जैसे-जैसे डिजिटल पर निर्भरता बढ़ रही है, साइबर इंश्योरेंस एक अहम सुरक्षा परत बनकर उभर रहा है, जो केवल वित्तीय कवर ही नहीं बल्कि व्यापक सहायता भी देता है, ताकि लोग और उनके परिवार नुकसान से उबरकर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकें।

SBI general INSURANCE
SURAKSHA AUR BHAROSA DONO

आज के डिजिटल दौर में साइबर इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, इसके प्रमुख कारण :

आइडेंटिटी थेफ्ट प्रोटेक्शनः पहचान की चोरी से होने वाले वित्तीय नुकसान को कवर करता है, जैसे व्यक्तिगत जानकारी का बिना इजाज़त उपयोग या फर्जी लेन-देन। अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में सहायता देता है, ताकि आपकी डिजिटल पहचान बहाल की जा सके।

धन की चोरीः बैंक खाते, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डिजिटल वॉलेट आदि में बिना इजाज़त के पहुंच से होने वाले नुकसान को कवर करता है। साइबर अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक कानूनी खर्च भी इसमें शामिल होते हैं।

आईटी विशेषज्ञ और डेटा रेस्टोरेशनः साइबर हमले की जांच, खोए हुए डेटा की रिस्टोर करने या प्रभावित डिवाइस को सुरक्षित करने के लिए आईटी विशेषज्ञों की सेवाओं पर होने वाले खर्च की भरपाई करता है। समय पर तकनीकी सहायता देकर नुकसान को सीमित करने और कामकाज को सामान्य करने में मदद करता है।

मानसिक परामर्शः साइबर उल्लंघन के कारण होने वाले तनाव, मानसिक आघात या भावनात्मक असर से निपटने के लिए पेशेवर काउंसलिंग या थेरेपी का खर्च कवर करता है। वित्तीय और तकनीकी सुधार के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी सहारा देता है।

पहचान की चोरी के कारण वेतन का नुकसानः पहचान की चोरी के सीधे परिणामस्वरूप हुई आय की हानि की भरपाई करता है। साइबर घटना के बाद की समस्याओं के समाधान के दौरान आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है।

परिवार के लिए कवर का विस्तारः पॉलिसीधारक अपने जीवनसाथी और आश्रित बच्चों सहित अपने नजदीकी परिवार को भी सुरक्षा के दायरे में शामिल कर सकते हैं। इससे पूरे परिवार को साइबर खतरों के खिलाफ मजबूत सुरक्षा मिलती है।

एसबीआई जनरल की साइबर पॉलिसी रिकवरी के हर चरण में पूरी सहायता प्रदान करती है। इस व्यापक दृष्टिकोण के साथ, एसबीआई जनरल की साइबर वॉल्टएज डेटा उल्लंघन और साइबर जबरन वसूली सहित विभिन्न साइबर जोखिमों के खिलाफ विस्तृत और मजबूत सुरक्षा देती है। आज की डिजिटल दुनिया की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई यह पॉलिसी वित्तीय सुरक्षा के साथ-साथ पॉलिसीधारकों और उनके परिवारों को भरोसा भी देती है।एसबीआई जनरल की साइबर वॉल्टएज के साथ, व्यक्ति और परिवार बदलते साइबर जोखिमों के बीच भी पूरे आत्मविश्वास के साथ डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं–जहां सुरक्षा, मजबूती और मानसिक शांति सुनिश्चित होती है।

अब तक का सबसे बड़ा समझौता

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना एक ऐतिहासिक मील का पत्थर

नई दिल्ली, : फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (फियो) ने ' अब तक का सबसे बड़ा समझौता यानी समझौतों के जनक', भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिए जाने का तहे दिल से स्वागत किया है, जिसके तहत अमेरिका ने सभी भारतीय निर्मित उत्पादों पर टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत करने पर सहमति व्यक्त की है, जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को और बढ़ावा देने और मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण और बड़ी उपलब्धि है।

इस घटनाक्रम को भारतीय निर्यातकों के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर और गेम-चेंजर बताते हुए, फियो के अध्यक्ष श्री एस सी रल्हन ने कहा कि यह समझौता अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा और सभी क्षेत्रों में भारत के निर्यात विकास को एक मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करेगा।

श्री रल्हन ने कहा, 'भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना और भारत में निर्मित उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत करना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को दर्शाता है और भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से एमएसएमई के लिए बड़े अवसर खोलता है।'

श्री रल्हन ने इस बात पर जोर दिया कि इंजीनियरिंग सामान, कपड़ा और परिधान, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, चमड़े के उत्पाद, रत्न और आभूषण, और कृषि उत्पाद जैसे क्षेत्रों को टैरिफ युक्तिकरण से काफी फायदा होने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा, 'कम टैरिफ न केवल मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करेंगे बल्कि भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में अधिक गहराई से एकीकृत होने में भी मदद करेंगे। यह समझौता क्षमता विस्तार को प्रोत्साहित करेगा, नए निवेश आकर्षित करेगा, और निर्यात-उन्मुख उद्योगों में रोजगार सृजन का समर्थन करेगा।'

जैसा कि संकेत दिया गया है, पहले के लगभग 50 प्रतिशत के स्तर से 18 प्रतिशत तक - आपसी टैरिफ में कमी, अन्य एशियाई आपूर्तिकर्ताओं की तुलना में भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए एक बड़ा गेम-चेंजर होगा। उम्मीद है कि इससे उन ऑर्डरों में तत्काल और पर्याप्त वृद्धि होगी जिन्हें पहले रोक दिया गया था, विशेष रूप से परिधान, कपड़ा, चमड़ा और जूते जैसे श्रम- आधारित क्षेत्रों में, जहां वैश्विक खरीदार आमतौर पर दिसंबर तक गर्मियों के मौसम की सोर्सिंग को अंतिम रूप दे देते हैं। बेहतर मूल्य समानता, बेहतर टैरिफ निश्चितता, और भारतीय आपूर्तिकर्ताओं में मजबूत खरीदार विश्वास के साथ, ये क्षेत्र आने वाले महीनों में ऑर्डरों में तेजी से वृद्धि और निर्यात विकास में तेजी के लिए तैयार हैं।फियो अध्यक्ष ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सक्षम और गतिशील नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा निर्यातकों के हितों की रक्षा करने और आपसी फायदे वाले नतीजे पर पहुंचने के लिए अमेरिकी समकक्षों के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने में निभाई गई सक्रिय भूमिका की भी सराहना की।

अविलंब ट्रांसफर शेड्यूल जारी करके ट्रांसफर ड्राइव चलाया जाए

करनाल शिक्षक तबादला करवाओ संघर्ष समिति,हरियाणा ने कहा है कि शिक्षकों की ट्रांसफर में देरी कर रही है कई सवाल खड़े?आखिर सब कुछ हो चुका है तो शेड्यूल जारी क्यों नहीं जारी किया जा रहा है?उपरोक्त बयान प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जारी करते हुए समिति के राज्य प्रधान कृष्ण कुमार निर्माण,राज्य प्रेस सचिव ऋषिराज नरवाल,राज्य सचिव पवन कुमार वर्मा,समिति वरिष्ठ सदस्य भगवान दास कैथल ने सवाल उठाया कि क्या शिक्षा मंत्री द्वारा दिया गया ब्यान फिर से कोरा ब्यान साबित होगा या

बचेगी लाज?खुद मुख्यमंत्री ने जो कहा था वह पूरा होगा या नहीं?राज्य प्रधान कृष्ण कुमार निर्माण ने कहा कि हरियाणा में अध्यापकों की कमी नहीं है लेकिन ट्रांसफर न करने से बिगड़ रहा है सारा सिस्टम,कहीं ज्यादा तो कहीं कम हैं शिक्षक।उन्होंने अंदेशा जताया कि शिक्षकों की ट्रांसफर अब समय की मांग है,अबकी बार ट्रांसफर नहीं हुई तो भविष्य में संभव नहीं होगी।समिति लगातार पिछले तीन साल से केवल ट्रांसफर के लिए संघर्ष कर रही है।उन्होंने कहा कि गृह जिलों के स्कूलों में पद खाली होते हुए भी लगभग चालीस हजार शिक्षक बैठे अस्थाई स्टेशनों पर और दूर-दराज स्टेशनों पर,हो रहा मानसिक,आर्थिक उत्पीड़न।2022 के बाद नहीं हुए हैं तबादले।हजारों शिक्षक डेपुटेशन पर बैठे हैं,बार बार बढ़ाया जा रहा समय।हजारों शिक्षक एनिवेहर बैठे हैं,कायदे से उनका कोई दोष नहीं है।